प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I में लेखापरीक्षेति के विवरण, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रियाओं को समाहित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्याकर्षणों को भी इस अध्याय में शामिल किया गया है।

3. अध्याय II बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन तथा बिहार के वृहत् जिला पथ के निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III पटना विश्वविद्यालय के कार्यकलाप, राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण तथा बिहार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन पर तीन दीर्घ कंडिकाओं को शामिल करता है। अध्याय IV में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समेकित लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। अध्याय V में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि के अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

4. 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जाँच से प्रकाश में आये मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षणों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्त्ती वर्षों में पाए तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2011–12 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।